प्रेस नोट दि0-06.03.2026

प्रेस नोट दिनांक- 06.03.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा "हत्या" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राजेश कुमार सरोज उर्फ राकेश उर्फ राजाबाबू को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
दिनांक 04.03.2026 को पुरानी रंजिश के कारण वादी निवासी ग्राम गोपालपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ के पड़ोसी राकेश उर्फ राजाबाबू पुत्र कूली द्वारा होली के बहाने वादी के पुत्र को बुलाकर धोखे से अपने घर ले जाया गया तथा अपनी पत्नी के साथ मिलकर वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से उसके शरीर में बिजली का तार छुआ दिया, जिससे करंट लगने के कारण वादी के पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 83/26 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 मुकेश पटेल व का0 नारायण जी व म0का0 प्रियंका कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 83/26 धारा 103(1) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त राजेश कुमार सरोज उर्फ राकेश उर्फ राजाबाबू पुत्र स्व0 कूली निवासी गोपालपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतपागढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 04.03.2026 को मेरे द्वारा जो घटना किया गया उसमें वादी के पुत्र की मृत्यू हो गयी जिस कारण मैं वहां से भाग गया। मुझे भी थोड़ा सा करंट लगा था, जिस कारण 04 तारीख को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज जाकर पट्टी कराया था और दवा लिया था। पकड़े जाने के डर से आज किसी रिस्तेदारी में छिपने जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. राजेश कुमार सरोज उर्फ राकेश उर्फ राजाबाबू पुत्र स्व0 कूली निवासी गोपालपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतपागढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 मुकेश पटेल व का0 नारायण जी व म0का0 प्रियंका कुशवाहा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 06.03.2026
थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

रास्ते के विवाद में हत्या के प्रयास के मुकदमे में 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, बाँस के डण्डे व प्लास्टिक पाइप बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, बाँस के डण्डे व प्लास्टिक पाइप बरामद की गई-

प्रतापगढ़।

पूर्व के रास्ते के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादिनी निवासी ग्राम सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को भद्दी-भद्दी गालियाँ दी गई। वादिनी के देवर द्वारा मना करने पर आरोपीगण एक राय होकर लाठी-डण्डा व कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से देवर पर हमला कर दिए, जिससे कुल्हाड़ी लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के परिजन बीच-बचाव करने पहुँचे तो आरोपियों द्वारा घर में घुसकर उनके साथ भी मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/333 बीएनएस बनाम 1. रामदौर पुत्र भुवर, 2. सुशील पुत्र रामदौर, 3. बलजीत पुत्र रामदौर, 4. खुशबू पत्नी सुशील कुमार, 5. ज्योति पत्नी बलजीत, 6. शान्ता पत्नी रामदौर समस्त निवासीगण ग्राम सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 जावेद अहमद मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार, हे0का पवन नायक, का0 प्रतीक कुमार, का0 रंजीत कुमार, म0का0 गीताजंली बाजपेयी, म0 आ0 गायत्री यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0स0 42/26 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/333 बीएनएस थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ से संबंधित 04 अभियुक्त/ अभियक्ता, 01. सुशील पुत्र रामदौर उम्र करीब 33 वर्ष, 02. बलजीत पुत्र रामदौर उम्र करीब 28 वर्ष, 03. अभियुक्ता खुशबू पत्नी सुशील उम्र करीब 30 वर्ष 04 अभियुक्ता ज्योति पत्नी बलजीत उम्र करीब 25 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-
01. सुशील पुत्र रामदौर उम्र करीब 33 वर्ष,
02. बलजीत पुत्र रामदौर उम्र करीब 28 वर्ष,
03. अभियुक्ता खुशबू पत्नी सुशील उम्र करीब 30 वर्ष,
04. अभियुक्ता ज्योति पत्नी बलजीत उम्र करीब 25 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम सेतापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाडी व 02 बाँस के डण्डे व 02 अदद प्लास्टिक पाईप बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 जावेद अहमद मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार, हे0का पवन नायक, का0 प्रतीक कुमार, का0 रंजीत कुमार, म0का0 गीताजंली बाजपेयी, म0 आ0 गायत्री यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 06.03.2026
थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, विवेक गुप्ता व जय उर्फ जितेन्द्र मीना को गिरफ्तार किया गया-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों को क्षेत्रान्तर्गत विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 दिलीप कुमार व का0 विकास बाबू द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. विवेक गुप्ता उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र मनेजर गुप्ता नि0 ग्रा0 कजहेड़ी सेक्टर 52 जनपद चण्डीगढ़, 02. जय उर्फ जितेन्द्र मीना उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र मांगीलाल मीना नि0 उमा विहार सोसाइटी, जोल्वा ग्राम रोड पल्साना, दास्तान, जनपद सूरत गुजरात को थाना क्षेत्रान्तर्गत विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त विवेक गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि मैं एक लड़की से इन्स्टाग्राम पर बात करता था तथा साथ रहना चाहते थे। तभी मैं अक्टूबर 2025 में उसे उसके घर से घरवालों की बिना सहमति से भगा कर सूरत गुजरात ले गया था। फिर हम दोनों लगभग 4-5 महीना साथ रहे पर जब मुझे पैसे की जरुरत ज्यादा पड़ी तो मैंने लड़की को अपने दोस्त जय उर्फ जितेन्द्र के साथ छोड़ दिया। मैं कमाने बड़ोदरा चला गया जहां पता चला कि लडकी वहां से कही चली गयी है। जिसे हम दोनों ढूढ़ते हुए उसके घर पर जाने वाले थे। परन्तु आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए दूसरे व्यक्ति जय उर्फ जितेन्द्र ने बताया कि विवेक को पैसे की जरूरत पड़ी थी तो उसने लडकी को मेरे पास छोड़ दिया था फिर वो वहाँ से निकल गयी है। जिसकी हम दोनों तलाश करते हुए गाँव जा रहे थे तो आपने हमें पकड़ लिया। जय उर्फ जितेन्द्र ने बताया कि मैं विवेक का अच्छा मित्र हूं तथा यह दोनों मेरे ही घर पर रहते थे। मैं वक्त बेवक्त विवेक की मदद किया करता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. विवेक गुप्ता उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र मनेजर गुप्ता नि0 ग्रा0 कजहेड़ी सेक्टर 52 जनपद चण्डीगढ़।
02. जय उर्फ जितेन्द्र मीना उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र मांगीलाल मीना नि0 उमा विहार सोसाइटी, जोल्वा ग्राम रोड पल्साना, दास्तान, जनपद सूरत गुजरात।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 दिलीप कुमार व का0 विकास बाबू थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 06.03.2026
थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा "हत्या" के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से सं ंबंधित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा-कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया-
अभियुक्तों को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत गाजीपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया-
अभियुक्त मो0 खलील पर थाना मान्धाता पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे कुल 07 अभियोग दर्ज है-

प्रतापगढ़।

दिनांक 02.03.2026 को वादी निवासी ग्राम रामनगर (हलईया का बाग), थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार उसका भाई मो० सलीम अपनी मोटरसाइकिल से बासु राजा पुल से वापस घर आ रहा था। इसी दौरान गांव की ओर जाने वाले खड़ंजा मार्ग के तिराहे पर पहले से घात लगाए बैठे पड़ोसी मो० खलील पुत्र स्व० इब्राहिम, अकबर पुत्र स्व० जलील निवासीगण रामनगर (हलईया का बाग) थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ तथा मोहम्मद अयान पुत्र मो० महमूद निवासी सड़क बाजार सिटी प्रतापगढ़ ने पुरानी हत्या की रंजिश को लेकर एक राय होकर मो० सलीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उपचार हेतु ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया एवं उक्त अभियुक्तगण घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0स0 23/26 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस बनाम 03 नामजद व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, उ0नि0 अनूप यादव, हे0का0 विसर्जन राम, का0 हरिपाल, का0 अंकित कुमार, का0 आनन्द यादव, मय चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 23/26 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. मो0 अयान पुत्र मो0 महमूद निवासी ग्राम नई बस्ती पुरेवैष्णव कटरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 02. मो0 खलील पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम रामनगर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 55 वर्ष को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत गाजीपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल पल्सर को बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट एवमं 61(2)ए बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मो खलील ने बताया कि मृतक व उनके भाईयो ने मेरे पिता व भाई की हत्या करीब 25 वर्ष पहले किया था, जिसको लेकर हम लोगो मे रंजीश थी लेकिन गाँव वालो की मध्यस्थता से मुकदमे मे सुलह समझौता हो गया था और बोल चाल शुरू हो गयी थी। मेरे भाई व पिता हत्या का जूनून मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। कुछ दिन पहले मो0 सलीम ने मुझसे बुलाकर पुछा कि क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो जिस पर मैने मना कर दिया था लेकिन पुरानी बाते मुझे अभी भी बुरी लगती थी । जिसके बाद मैने अपने भतीजो अफसर और अकबर के साथ हत्या की योजना बनायी । दिनांक 02.03.2026 को मै घर पर था, मैने देखा कि मृतक घर से निकल रहा है मुझे जानकारी थी कि रमजान का महीना है बहुत देर तक बाहर नही रहेगा। अयान मेरे साथ मेरे घर पर मौजूद था मै अपने पास पडा तमंचा व कारतूस लेकर अयान को साथ लेकर पल्सर गाडी से घर से बाहर जाकर रास्ते मे मो0 सलीम का इंतजार करने लगा। मो0 अयान को बाईक देकर मैने कुछ दुर खडा किया था। मो0 सलीम को घर की तरफ आता देख मैने अपना तमंचा निकालकर मो0 सलीम पर फायर कर दिया था । पुनः गोली चलाने के लिए लोड कर रहा था कि मृतक को एक गोली लगने के बाद भी नही गिरा और मुझसे भिडकर मुझे गिरा दिया मौका पाकर मैने दुसरी गोली चला दिया उसके बाद मृतक ने मुझे छोड़ दिया मै उठकर मो0 अयान के साथ मोटरसाईकिल पल्सर से भाग गया था।

रास्ते मे खून लगा जींस का पैंट व गमछा तथा पैंट मे पडे दो खोखा कारतूस भयहरण नाथ मन्दिर के पास सूखी नदी के किनारे झाडियो मे फेक दिया था। बरामद तमंचे के बारे मे अभियुक्त मो0 खलील उपरोक्त से पूछा गया तो बताया कि ये वही तमंचा है जिससे मैने दिनांक 02.03.2026 को वादी के भाई की हत्या की थी। और आज भी अपने जान को खतरा देख कर मै यह तमंचा और कारतूस लिया था। और जो आपने मोटरसाकिल पकडा है यह वही पल्सर मोटरसाईकिल है जिससे घटना कारित करने के बाद हम लोग भागे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो0 अयान पुत्र मो0 महमूद निवासी ग्राम नई बस्ती पुरेवैष्णव कटरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष ।

02. मो0 खलील पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम रामनगर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 55 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त खलील पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम रामनगर थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0 -239/1994 धारा-363/366 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0स0-131/2004 धारा-302/34/506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0स0-165/2013 धारा-307/323/506/286 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0स0-114/2019 धारा-286/323/427/504/506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

05. मु0अ0स0 122/2019 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

06. मु0अ0स0-245/2023 धारा-323/325/341/504/506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

07. मु0अ0स0 23/26 धारा 103(1), 61(2)ए, 13(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल पल्स, उनकी निशानदेही पर रक्त रंजित कपडे बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, उ0नि0 अनूप यादव, हे0का0 विसर्जन राम, का0 हरिपाल, का0 अंकित कुमार, का0 आनन्द यादव, मय चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।